Definition of a Farmer

†*67. SHRI AJAY PRATAP SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the definition of a farmer as laid down by the Central Government and the number of farmer families under this definition in the country;

(b) whether Government conducts any survey to find out the number of farmer families in the country, if so, the details of surveys conducted during the last three years, State/region-wise including Madhya Pradesh; and

(c) whether any criteria has been laid down by Government for declaring a person as a farmer, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Agriculture being a State subject, the Stale Governments undertake implementation of programmes /schemes for the development of the sector. Government of India supplements the efforts of the State Governments through various schemes/ programmes. The various schemes/programmes of the Government of India are meant for the welfare of farmers by increasing production and remunerative returns to farmers.

The Government of India provides income support to all land holding farmer families in the country having cultivable land as per land record of the concerned State/ UT.

Agriculture Census in India conducts a survey at an interval of five years to collect and compile data on operational holding in the country. A State-wise number of operational holdings in the country, based on the results of Agriculture Census 2015-16, is at Annexure.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

Annexure

State-wise Number of Operational Holdings as per Agriculture Census 2015-16

SI. No.	States/UT	Number (in '000)
1.	Andaman and Nicobar Islands	12
2.	Andhra Pradesh	8524
3.	Arunachal Pradesh	113
4.	Assam	2742
5.	Bihar	16413
6.	Chandigarh	1
7.	Chhattisgarh	4011
8.	Dadra and Nagar Haveli	15
9.	Daman and Diu	8
10.	Delhi	21
11.	Goa	75
12.	Gujarat	5321
13.	Haryana	1628
14.	Himachal Pradesh	997
15.	Jammu and Kashmir	1417
16.	Jharkhand	2803
17.	Karnataka	8681
18.	Kerala	7583
19.	Lakshadweep	10
20.	Madhya Pradesh	10003
21.	Maharashtra	15285
22.	Manipur	150
23.	Meghalaya	232
24.	Mizoram	90

SI. No.	States/UT	Number (in '000)
25.	Nagaland	197
26.	Odisha	4866
27.	Puducherry	34
28.	Punjab	1093
29.	Rajasthan	7655
30.	Sikkim	72
31.	Tamil Nadu	7938
32.	Telangana	5948
33.	Tripura	573
34.	Uttar Pradesh	23822
35.	Uttarakhand	881
36.	West Bengal	7243
	ALL INDIA	146454

श्री अजय प्रताप सिंह: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न में (ख) भाग के प्रत्युत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने भू-जात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, ये आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। मैंने किसानों की संख्या मांगी थी, ये आंकड़े स्पष्ट नहीं करते कि किसानों की संख्या है या खसरों की संख्या है या पंचशाला खसरों की संख्या है अथवा इन तीनों से अतिरिक्त कोई आंकड़ा है, कृपया मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि ये आंकड़े किस संदर्भ में दे रहे हैं?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय सभापति महोदय, हम सब भली-भांति जानते हैं कि कृषि राज्य का विषय है और ज़मीन भी राज्य का विषय है। ज़मीन से संबंधित सारा रिकार्ड राज्य सरकारों के पास होता है। भारत सरकार की ओर से किसानों को भू-जोत के साथ जोड़कर के साथ उसके मालिकाना हक को मानकर प्राथमिकतया हम उनको किसान मानते हैं। आपने फिगर्स के साथ जानना चाहा कि ये जो फिगर्स हैं, इन्हें खाता-खसरा मान सकते हैं, राज्य सरकारों के द्वारा अपने-अपने राज्यों में आईडेंटिफाई किए हुए भू-जोत की जो फिगर्स हैं, उनकी ये फिगर्स हैं, इनको आप इस प्रकार से ले सकते हैं।

श्री अजय प्रताप सिंह: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसका आंकड़ों के साथ मिलान करें तो बहुत अंतर दिखाई देता है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आज कृषि क्षेत्र में नए आयाम जुड़ गए हैं, नये आयामों में फल उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, फूलों की खेती आदि क्षेत्र भी सम्मिलित हुए हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या इन कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों को भी आप किसान मानते हैं, अगर किसान मानते हैं तो प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना का लाभ इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को देंगे अथवा दे रहे हैं।

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति जी, यह विषय बहुत ही स्पष्ट है कि भारत सरकार और अभी तक हमारी जो प्रथाएं, परम्पराएं और मान्यताएं हैं. इनके चलते हम भू-जोत के मालिक किसानों को ही किसान मानते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि पशुपालन से जुड़े किसान, मत्स्य पालन से जुड़े किसान, बागवानी के साथ जुड़े हुए किसान आदि। उनमें से बागवानी वाले किसान भू-जोत के साथ ही जुड़े हुए हैं। उनको छोड़कर जो ज़मीन के अलावा या एलाइड सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और जिनका कृषि सेक्टर से नाता भी है, मगर इनको किसान मानने का अभी कोई निर्णय नहीं है, इसके चलने इन लोगों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि, जिसमें 6 हज़ार रुपये मुहैया कराने होते हैं, वह भू-जोत के आधार पर राज्य सरकार जिनको किसान घोषित करेगी, उनको ही देने का प्रावधान है।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I would like to ask the hon. Minister, through you, one thing. The needs and plight of landless agricultural labourers are very different from any other class of labourers. Are landless labourers and cultivators covered in the definition of 'farmers.' for the purpose of all schemes that cater currently to the farmers' interests? The hon. Minister has just said that the State is going to decide.

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति महोदय, मैं आपको यह बिल्कुल स्पष्टता से बता सकता हूं कि जो लैंडलेस लेबर्स हैं या लैंडलेस काश्तकारी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, अभी तक की यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी हम किसानों को ही, जो भू-जोत के साथ हुए हैं और जिनको राज्य सरकार...मैंने राज्य सरकार का ज़िक्र इसलिए किया था कि नॉर्थ-ईस्ट के कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, जहां किसानों के नाम पर भू-जोत भी नहीं है, वहां individual मालिकाना हक भी नहीं है, ऐसे राज्यों के किसानों की मांग पर भारत सरकार ने यह निर्णय किया था कि वहां की राज्य सरकार अगर इन किसानों को identify करके कहती हैं कि ये हमारे किसान हैं, जो खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं, हमने इनको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का बेनिफिट देने का निर्णय किया है।

SHRI RIPUN BORA: Sir, the hon. Minister has just mentioned that under the *Pradhan Mantri Krishi Samman Nidhi Yojana*, ₹6000 has been given to the farmers. So far as my State, Assam is concerned, this amount of ₹6000 was to be given in three parts of ₹ 2000 each, through bank transfer. But, in Assam, till now, only the first part of ₹2000 has been given. The second and third parts, that means, rest of the money of ₹4000 has not yet been paid. So, I want to know from the hon. Minister as to when it will be paid and whether the Government has released it.

श्री परशोत्तम रुपाला: सर, मेरे पास असम की particular जानकारी नहीं है।

श्री सभापति: मंत्री जी, आप जानकारी इकट्ठा करके माननीय सदस्य को दे दीजिएगा।

श्री परशोत्तम रुपाला: मैं इस विषय के बारे में जानकारी लेकर आपको अवगत करवा दूंगा।